MD Sy-An

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ–226001

पेंशन PENSION

CIN: U32201UP1999SGC 024928

पत्र सं0 /उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन अदा0/ दिनांक :–30|9|2019

परिपत्र

कारपोरेशन के संज्ञान में लाया गया है कि ऊर्जा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–1/2019/1660/24–पी–2–18–सा0(144)/17, दिनांक 02 जनवरी 2019 एवं तत्क्रम मे निर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 53–पें0एण्डआर0–28/पाकालि/2018–60–पी/98 दिनांक 11 जनवरी 2019 के माध्यम से यह व्यवस्था प्रावधानित की गयी है:– **"ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के पेंशनर्स के समस्त देयों दिनांक 29 फरवरी 2016 के पूर्व के देयों को सम्मिलित करते हुए, का भुगतान कोषागारों के माध्यम से ही किया जायेगा"।**

उक्त आदेश के समुचित कियान्वयन के सम्बन्ध में कारपोरेशन एवं इसकी वितरण कम्पनियों के पेंशन भुगतान इकाई स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रकिया स्पष्ट न होने से पेंशनरी अवशेषों के भुगतान का कार्य कोषागार स्तर से कराये जाने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

उक्त कार्य के सुगम निस्तारण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पेशंनर/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 02/2016 से पूर्व के पेंशनरी अवशेषों का भुगतान राजकीय कोषागारों के माध्यम से कराये जाने हेतु करापोरेशन की पेंशन भुगतान इकाइयों/पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारी के स्तर से निम्न प्रकिया अपनाये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

1. कारपोरेशन की पेंशन वितरण इकाइयों द्वारा ऐसे पेशन पुनरीक्षण प्राधिकार पत्र जिसके अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को पेशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अवशेष का भुगतान कारपोरेशन स्तर से नही किया गया हैं, का भुगतान कोषागार से कराये जाने हेतु प्राधिकार पत्र की मूल प्रति पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी को वापस प्रेषित किया जाये।
2. पेंशन भुगतान इकाइयों द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र के सापेक्ष कोई भुगतान नही किया गया है, का प्रमाण पत्र पेंशन प्राधिकार पत्र/ग्रेच्युटी प्राधिकार पत्र/राशिकरण प्राधिकार पत्र पत्र प्रेषित किये जाने वाले अग्रसारण पत्र पर अंकित कर दिया जाये।
3. पेंशन भुगतान इकाइयों द्वारा पेंशन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि से पेंशनर को भुगतान की गयी पेंशन/पारिवारिक पेशंन के भुगतान विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया जायें।
4. पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा उक्त प्राधिकार पत्रों के सापेक्ष पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण के अवशेष के भुगतान हेतु मूल प्राधिकार पत्र को प्रति हस्ताक्षरित कर, नोडल अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर सम्बन्धित कोषागार को भुगतान हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(निदेशक)
(कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)

पंत्राक 2723 उ0म0प्र0 लेखा/पेंशन अदा0/ तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल/पूर्वान्चल/दक्षिणॉचल/पश्चिमॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।**
2. **प्रबन्ध निदेशक केस्को, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।**
3. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।**
4. **निदेशक (वित्त), मध्यॉचल/पूर्वान्चल/दक्षिणॉचल/पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ।**
5. **निदेशक (वित्त), केस्को, कानपुर।**
6. **निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।**
7. अधिशासी अभियन्ता, वेब साईट, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन लखनऊ।

(निदेशक)
(कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)